

क्रमांक / 3324060 / 958 / 2019 / 473  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,  
तुलसी नगर भोपाल म.प्र.क्र. 462003  
दूरभाष-07552552646, 2552878 फैक्स 2552406, 2551253  
email: encwrbl\_mp@nic.in

भोपाल दिनांक: 29/02/2020

" कार्यालयीन-आदेश "

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-1/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान के परिपालन में शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को अमीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति वेतनमान रूपये पी.बी.1, 5200-20200 + ग्रेड पे 2100/- (सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल-5) शासन द्वारा अद्यतन स्वीकृत महंगाई भत्ते पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र	दिवंगत शासकीय सेवक का नाम	मृत्यु दिनांक	आवेदक का नाम वर्तमान पता	जाति/जन्म तिथि	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	स्व.श्री मदनलाल सालमी	1.4.2003	राहुल सालमी निवासी म.न.30 नियर सेन्टपाल स्कूल जे.पी. कॉलोनी आनंद नगर, भोपाल	अ.जा. 22.07.1993	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार ज.स. वि. भोपाल
2.	स्व. श्री शिवकुमार सोनी	22-10-2014	श्री जय शंकर सोनी निवासी म. न.20/135 रानीगंज घोघर जिला रीवा	अ.पि.वर्ग. 07.08.1989	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना दतिया
3.	स्व श्री धन्नालाल गोरे	18-01-2015	श्री मुकेश गोरे निवासी बाजड़ तहसील राजपुर जिला बड़वानी	अ.ज.जा 03. 05.01.1990	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार इन्दौर
4.	स्व श्रीमति शोभा द्विवेदी	18-05-2015	श्री रोहित द्विवेदी निवासी म.न. 5/1188 जवाहर वार्ड क्र.5 आर. एन.सिंह के बगिया के पास डेकहा रीवा	सामान्य 10.12.1996	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार ज.स. वि. भोपाल
5.	स्व.श्री विजेन्द्र कुमार सारस्वत	12-08-2016	श्री मनीष सारस्वत निवासी म.न. यू-14 गालव नगर, चौबीस बीघा कॉलोनी ग्वालियर	सामान्य 01.12.1988	मुख्य अभियंता, यमुना कछार ज.स.वि. ग्वालियर
6.	स्व.श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव	12-08-2016	श्री श्रीयस श्रीवास्तव निवासी सिंचाई विभाग, कॉलोनी पुलिस लाईन रोड़ शहडोल	सामान्य 02.04.2001	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार ज.स. वि. भोपाल
7.	स्व.श्री बादशाह तरवरिया	22-05-2017	श्री संतोष कुमार तरवरिया निवासी ई सेक्टर, ई.एच.24 दीनदयाल नगर, ग्वालियर	अ.जा. 01.07.1990	मुख्य अभियंता, यमुना कछार ज.स.वि. ग्वालियर
8.	स्व.श्री फेरनलाल भूमिया	18-12-2017	श्री ब्रजेश कुमार भूमिया, निवासी ग्राम दिनारी खमरिया पोस्ट बरगी थाना सिहोरा जिला जबलपुर	अ.ज.जा. 05.07.1992	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
9	स्व.श्री रामचरण आर्य	20-09-2018	श्री ज्ञानसागर आर्य निवासी म.न. 41ख ग्राम गुलइ वार्ड क्र.18 पोस्ट पवईया तह.रघुराजनगर जिला सतना	अ.जा. 03.11.1993	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
10	स्व.श्री ए.ए. कुरेशी	22-11-2018	कुमारी अलफिया अली कुरेशी निवासी वार्ड नं.13 साँई नगर, बूढ़ी बालाघाट	अ.पि.वर्ग. 08.11.1997	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
11	स्व.श्री जगदीश नायक	09-03-2019	श्री अनिल नायक निवासी क्वा. नम्बर पी/3 सिंचाई कॉलोनी गुना	सामान्य 09.12.1990	मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार ज.स. वि. भोपाल
12	स्व.श्री बख्तलाल उईके	16-05-2019	श्री सुन्दर लाल उईके निवासी म. न.एच-7दामखेड़ा कॉलोनी खरगौन	- अ.ज.जा.	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार इन्दौर

50

A

13	स्व.श्री हरगोविन्द सिंह तेकाम	03-06-2019	श्री चित्रांशु सिंह तेकाम निवासी मुकाम पोस्ट आष्टा तह.बरघाट जिला सिवनी	अ.ज.जा. 03.01.2001	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
14	स्व.श्री महेश बाबू झा	3.6.2019	श्री अमित झा निवासी क्वा.नंबर जी/17 मोहिनी सागर कॉलोनी वार्ड न.31 जिला शिवपुरी	अ.पि.व. 23.11.1995	मुख्य अभियंता, यमुना कच्छर ज.स.वि. ग्वालियर
15	स्व.श्री मुकेश कुमार मर्सकोले	15-09-2019	श्रीमति सुनीता मर्सकोले निवासी वार्ड 20 खूंट तह.बरघाट जिला सिवनी	अ.ज.जा 07.07.1980	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद
16	स्व.श्री अरुण कुमार शुक्ला	18-10-2019	श्री अंकित शुक्ला निवासी वार्ड नं. 3/4 रीवा रोड़ सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल	सामान्य 22.06.1994	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद

- 1- मध्यप्रदेश शासन शासकीय भर्ती नियम 1969 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 2- संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह पूर्व सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते शासकीय कोष में जमा कराये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन एवं भत्ते उनके भू-राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी।
- 3- कार्य ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को अमीन के पद हेतु निम्न अभिलेख की मूल प्रति कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी कार्यग्रहण सूचना मान्य नहीं की जावेगी।
  1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र।
  2. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी/स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
  3. जिले के प्रमुख चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
  4. जाति प्रमाण-पत्र।
  5. चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र (दिवंगत शासकीय सेवक के पुत्र अथवा पुत्री के लिए)
4. आदेश जारी होने के दिनांक (प्राप्ति दिनांक से) से एक माह की समयावधि में पदस्थीकरण स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. आवेदक से कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का वचन पत्र लिया जावेगा कि वो दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाय कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है तथा उसका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ( दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी को छोड़कर)
- 7- दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी का अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात कराए गये चरित्र सत्यापन ( पुलिस वेरिफिकेशन ) में यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
- 8- कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13.05.2005 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
- 9- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) दिनांक 20 अगस्त 2009 के अनुसार नियुक्ति के पश्चात जल संसाधन विभाग द्वारा अमीन का प्रशिक्षण दिया जावेगा।
10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।
11. मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होगी।

(मदनसिंह डोबर)  
29.2.20

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल


पृष्ठा. क्रमांक / 3324060 / 958 / 2019 / 474

भोपाल दिनांक: 23/02/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 संबंधित मुख्य अभियंता,.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं चरित्र सत्यापन संलग्न है एवं जिन अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं है उन अभ्यर्थियों से प्राप्त करें) पृष्ठांकित कर निवेदन है कि इनके विस्तृत पदस्थापना आदेश 10 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से जारी किये जाये तथा अभ्यर्थी के कार्यग्रण की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। साथही मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र.7/3/25/5/93दिनांक 31/12/93 की कंडिका 1 के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 संबंधित कलेक्टर .....
- 3 संबंधित श्री / श्रीमति / कुमारी .....
- 4 निज सहायक, प्रमुख अभियंता / अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) / अधीक्षण यंत्री (वृहद) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 5 ✓ वेब मैनेजर।
- 6 मास्टर नस्ती / अधीक्षक 331,332  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

  
(अमिताभ मिश्रा) 23/2/20  
अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल